# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 59 / 2020

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2020 / 00126

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1.नरपतसिंह पुत्र हमीरसिंह<br>2.गंगासिंह पुत्र हमीरसिंह<br>3.तेजसिंह पुत्र हमीरसिंह<br>4.कानसिंह पुत्र हमीरसिंह<br>5.गवरीकंवर पत्नि हमीरसिंह<br>6.भोमा पुत्र बागसिंह<br>जाति राजपुरोहित<br>निवासी–वीलों की ढाणी,मण्डली तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर व जिला बाड़मेर वर्तमान जिला बालोतरा | | 1.शिवसिंह पुत्र गोकलसिंह<br>जाति राजपुरोहित के वारियान<br>1 / 1.परबतसिंह पुत्र शिवसिंह<br>1 / 2.भोपालसिंह पुत्र शिवसिंह<br>1 / 3.मनोहरसिंह पुत्र शिवसिंह<br>1 / 4.मोतीसिंह पुत्र शिवसिंह<br>1 / 5.वरजूकंवर पत्नि शिवसिंह<br>2.अचलसिंह पुत्र गोकलसिंह<br>3.उम्मेदसिंह पुत्र गोकलसिंह<br>4.खेतसिंह पुत्र गुलाबसिंह<br>जाति राजपुरोहित नाबालिग जरीयें कुदरती वली माता बाबूकंवर पत्नि गुलाबसिंह जाति राजपुरोहित<br>5.राजस्थान सरकार जरीयें तहसीलदार पचपदरा वर्तमान तहसीलदार कल्याणपुर<br>6.मनोहरसिंह पुत्र वगतसिंह<br>7.मूलसिंह पुत्र वगतसिंह<br>8.धापूकंवर बेवा वगतसिंह<br>9.सुमेरसिंह पुत्र शैतानसिंह<br>10.भागीरथसिंह पुत्र शैतानसिंह<br>11.बाबुसिंह पुत्र शैतानसिंह<br>12.आम्बसिंह पुत्र शैतानसिंह<br>13.लाछोकंवर पत्नि शैतानसिंह<br>14.बाबूकंवर पत्नि गुलाबसिंह<br>15.पुखसिंह पुत्र आईदानसिंह<br>16.बुधसिंह पुत्र आईदानसिंह<br>17.जगमालसिंह पुत्र आईदानसिंह<br>18.पेपसिंह पुत्र आईदानसिंह<br>जाति राजपुरोहित निवासी वीलों की ढाणी,मण्डली तहसील पचपदरा |

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

## राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**उपस्थिति–**

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत,वकील प्रार्थीगण

2.विप्रार्थी एकपक्षीय

**निर्णय**

दिनांक– 08·02·202[illegible]

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण 1.नरपतसिंह 2.गंगासिंह 3.तेजसिंह 4.कानसिंह पिसरान हमीरसिंह 5.गवरीकंवर पत्नि हमीरसिंह 6.भोमा पुत्र बागसिंह ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 947 क्षेत्रफल 14.1300 हैक्टेयर ग्राम वीलों की ढाणी तहसील कल्याणपुर में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 944,970 व खसरा संख्या 1209/972 में से परिशिष्ट अ मुताबिक चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्रीमति इन्द्रकौर व्यास की तरफ से वकालतनामा पेश किया था। लेकिन पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया तथा नियत पेशी पर उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष विप्रार्थी संख्या 1 व 4 एवं 6 से 18 विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 05 तहसीलदार कल्याणपुर ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल हैं।

03. तत्पश्चात् प्रकरण में बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया [illegible] की ओर से विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खेत खसरा संख्या 944 ग्राम वीलों की ढाणी [illegible] प्रार्थ[illegible] के खातेदारी खेत संख्या 947 क्षेत्रफल 14.1300 हैक्टेयर [illegible] कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित करवानें का आवेदन पत्र पेश किया गया था तथा तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा रास्ता की मौका जांच रिपोर्ट में प्रार्थीगण की ओर से चाहे गए खसरान नम्बर 944 के अलावा खसरा संख्या 967,968,944,938 व 1209/972 में भी रास्ता प्रस्तावित किए जाने पर प्रार्थीगण की ओर से संशोधित आवेदन पत्र पेश किया गया तथा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उक्त खसरान के खातेदारान को विप्रार्थी पक्षकार बनाया गया,उक्त विप्रार्थी बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के उपरांत उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर निवेदन किया कि उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अतः तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीगण को आपति नहीं। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

**4.**हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु मौका रिपोर्ट मुताबिक खसरा संख्या 967 ,968, 944,938 व खसरा संख्या 1209/972 में प्रस्तावित रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। तहसीलदार कल्याणपुर ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु निम्नानुसार रिपोर्ट अंकन की गई है,संक्षिप्त सारनुसार :–प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्तें के अलावा अन्य कोई नजदीक में ग्रेवल/सड़क रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही सबसे नजदीक व निकटतम रास्ता है।

**5.**हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग [illegible] फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस [illegible] करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने [illegible] विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदा[illegible]र जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:14 IST
Reason: SelfAttested

6. चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 944 में आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 947 तक पंहुच हेतु प्रस्तावित खसरान के साथ खसरा संख्या 967 में रकबा 0.01 बीधा भूमि भी प्रस्तावित किया है,जबकि खसरा संख्या 968 में प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के खेत को रास्ता से जोडता है,इस कारण खसरा संख्या 967 में प्रस्तावित रकबा 0.01 बिस्वा भूमि रास्ता दिए जाने का औचित्य प्रतीत नहीं है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन पत्र को स्वीकार किए जाने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है,यदि आपति होती तो विप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर उजर–एतराज पेश करतें ,लेकिन ऐसा विप्रार्थी की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है। उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित रास्ता बरंग लाल उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता हैं।

7. उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल कुल रकबा 01.03 बीघा में से खसरा संख्या 967 की भूमि को छोड़ते हुए शेष कुल रकबा 1.02 बीघा भूमि की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर–25,470 रूपये प्रति बीघा के अनुसार देय राशि–56,060/–रूपये बनती है,जिसकों प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है। अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना –पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

## आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 947 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 968 रकबा 17–17 बीधा भूमि में से 0–06 बीधा,खसरा संख्या 944 रकबा 15–10 बीधा भूमि में से 0–06 बीधा,खसरा [illegible] रकबा 15–10 बीधा भूमि में से 0–06 बीधा व खसरा संख्या [illegible] रकबा [illegible] बीघा भूमि में से 0–02 बीधा व खसरा संख्या 1209/972 रकबा 6–16 बीधा भूमि में से 0–[illegible] बीधा कुल रकबा 1–02 बीघा मौका रिपोर्ट में दर्शित नक्शानुसार बंरग लाल भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देश प्रदान किये

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:14 IST
Reason: SelfAttested

जाते है कि प्रार्थीगण से उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 56,060/–(छप्पन हजार साठ) रूपयें की राशि वसूल कर आनुपातिक रूप से संबधित विप्रार्थीगण को अदा करवानें के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। विप्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर स्वीकार नहीं करने की स्थिति में इसे राजकोष के संधारित शीर्ष में जमा करवाना सुनिश्चित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(राजेश कुमार)
**उपखण्ड अधिकारी**
**बालोतरा**

निर्णय आज दिनांक 08.2.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
(S.D.O.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:14 IST
Reason: SelfAttested